जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1	योजना का नाम	इंदिरा आवास योजना
2	सम्बन्धित विभाग का नाम	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
3	कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम	परियोजना निदेशक
4	कार्यालय का पता	विकास भवन प्रथम तल मुजफ्फरनगर।
5	कार्यालय दूरभाष	01312621246
6	योजना के आरम्भ होने की तिथी	
7	योजना के समाप्ति की तिथी	——
8	योजना का प्रकार	केन्द्रीय
9	योजना का संक्षिप्त विवरण	**आर्थिक सहायता**— इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे आवासहीन/कच्चे आवास वाले परिवारों को 1—4—13 से 45000/—रूपये के स्थान पर 70000/— दो किस्तों में अनुदान धनराशि आवास निर्माण हेतु दिये जाने के निर्देश प्राप्त हुए। बी0पी0एल0 सूची 2002 से तैयार की गयी आवासहीन/कच्चे आवास वाले परिवारों की स्थाई प्रतीक्षा सूचीअ अनुसार लाभार्थियों को आवास सुविधा से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। यह योजना बेघर और जीर्ण शीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों के लिये सार्वजनिक आवास योजना है जिसमें भूमिहीन गरीबों को मकानों के लिये जमीन उपलब्ध कराने वाला घटक भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा योजना अन्तर्गत कन्वर्जेन्स में मनरेगा योजना से लाभार्थी को 90 दिन तथा शौचालय निर्माण हेतु 10 दिन कुल 100 दिवस का रोजगार भी दिया जाता है। इस योजना में निम्नवत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है— 1—**नये मकान के निर्माण हेतु सहायता**—नये मकान का अर्थ ऐसा बनाया गया मकान है जिसका निर्मित क्षेत्र शोचालय को छोडकर कम से कम 20 वर्ग मीटर हो। आई0ए0वाई0 मकान इस अर्थ में पक्का होना चाहिये कि वह मकान मुनासिब रख रखाव से कम से कम 30 वर्ष तक रहन सहन और मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक कारणों से होने वाली सामान्य टूट फूट को सहन कर सके। उसकी छत स्थाई सामग्री की बनी होनी चाहिये और दीवारें स्थानीय मौसमी परिस्थितियों को सहने में सक्षम होनी चाहिये और इन पर पलस्तर करने की जरूरत तभी पडनी चाहिये जब इन दीवारों की बाहरी सतह क्षतिग्रस्त होने लगे। तीस वर्ष की मियाद सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त विनिर्देशों की अनुरूप बनाए गये मिटटी और बांस के मकान भी स्वीकार्य है। **2—जीर्णशीर्ण या कच्चे मकानों का उन्नयन**—इसमें छत/दीवारों का उन्नयन कुछ हिस्सों की मरम्मत/नव

		निर्माण और इसी प्रकार के अन्य कार्य शामिल होगे। पहले से इस्तेमाल हो चुकी सामग्री को उन्नयन में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।अतिरिक्त सामग्री के इस्तेमाल/प्रतिस्थापन मकान के डिजाइन में बदलाव और/या उसकी कारीगरी में भी सुधार के परिणामस्वरूप ऐसा मकान यथोचित रखरखाव से कम से कम 30 वर्ष तक टिकने में सक्षम होना चाहिये।दिशानिर्देशों की अनुसूची के अनुसार सहायता दी जाएगी। कच्चा मकान ऐसा मकान है जिसकी दीवारे और/या छत कच्ची ईट,बांस,मिटटी,घास,सरकण्डे आदि जैसी सामग्रियों से बनी हो,जोकि तकनीक के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण टिकाऊ न हो तथा मौसम की सामान्य मार न झेल सके। जीर्णशीर्ण मकान का तात्पर्य ऐसा पक्का मकान है जो कि सामान्य टूट फूट या अन्य किसी कारण से इतना क्षतिग्रस्त हो गया हो कि उसमें रहा न जा सकता हो। उन्नयन का अर्थ ऐसे कच्चे/जीर्णशीर्ण मकानों में नये मकान जैसे मानको के अनुरूप सुधार करना है। **3–वित्त पोषण पद्धति**–इस योजना की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में योगदान करेगी।पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 होगा।मकानों के लिये जमीने उपलब्ध कराने की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपान 50:50 होगा। संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार पूरी लागत वहन करेगी।
10	योजना के लिये निर्धारित अर्हता	
11	योजना किस वर्ग विशेष के लिये है	
12	योजना आवेदन करने की प्रकिया	
13	आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थान	विकास खण्ड कार्यालय
14	आवेदनपत्र/फार्म शुल्क	निशुल्क
15	आवेदनपत्र/फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नको का विवरण	बी0पी0एल0 सूची का क्रमांक अंकित किया जाता है।
16	यदि आवेदन आनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस	नहीं।
17	योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम मोबाईल नम्बर सहित	परियोजना निदेशक,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मुजफ्फरनगर। मो0नं0 9454465194
18	योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बंन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई–मेल	drda-muz@nic.in
19	विभाग की वेबसाईट का एड्रेस	http://iay.nic.in